


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)

भंवरलाल बनाम ओमप्रकाश व अन्य

धारा 111-128 एल0आर0ए

Online No. 2022/521
मुकदमा 364/2022

04-10-2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो, नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर- 364/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र
उनवान

1. श्री भंवरलाल खटीक पुत्र श्री मांगीलाल खटीक निवासी 10-ए-28, आर0सी0 व्यास कॉलोनी,
भीलवाड़ा-राज0

-प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल खटीक निवासी 9-डी-14, आर0सी0 व्यास कॉलोनी,
भीलवाड़ा-राज0
2. श्यामलाल पुत्र भैरूलाल खटीक निवासी गंगा चौक, सांगानेर जिला भीलवाड़ा-राज0
3. श्लोक पुत्र श्री हेमन्त कुमार भदादा जरिये संरक्षक हेमन्त कुमार पुत्र चांदमल भदादा, निवासी
शाहपुरा रोड, सांगानेर, भीलवाड़ा
4. नगर विकास न्यास जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा-राज0

-विपक्षीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय

दिनांक 04.10.2022

सुपस्थित-1 गोपाल अजमेरा - प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि आराजी नंबर 681 रकबा 5 बिस्वा, 682 रकबा 4 बिस्वा, 683 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, 666 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, 667 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाड़ा भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2073 कृषि भूमि आराजी नंबर 681 रकबा 5 बिस्वा, 682 रकबा 4 बिस्वा, 683 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, 666 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, 667 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाड़ा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।
अतःएवं


// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि आराजी नंबर 681 रकबा 5 बिस्वा, 682 रकबा 4 बिस्वा, 683 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, 666 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, 667 रकबा 1 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, ग्राम सांगानेर, पटवार हल्का सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाड़ा भूमि सीमा


जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 250/- रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक सांगानेर 500/-रूपये (पांच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 सांगानेर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।


(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा